अंचल अधिकारी का कार्यालय, करमाटाँड़(विद्यासागर)
अतिक्रमण वाद अभिलेख संख्या–05/2023

दिनांक	आदेश फलक	मंतव्य
1	2	3
23.06.2023	–:आदेश:– यह अतिक्रमणवाद श्री द्वारिका पंडित मौजा–शिकरपोसनी, अंचल–करमाटाँड़ (विद्यासागर) द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के आलोक में आरंभ की गई है। शिकायत के आलोक मे राजस्व उपनिरीक्षक, हल्का सं0–02, श्री लिलटो हेम्ब्रम ने अंचल निरिक्षक, करमाटाँड़(विद्यासागर) के माध्यम से अतिक्रमण प्रतिवेदन दिया है कि करमाटाँड़(विद्यासागर) अंचल अंतर्गत मौजा–शिकरपोसनी, थाना सं0–37 अनाबादी खाता सं0–82 दाग सं0–242, कुल रकवा–0.45 एकड़ भुमि किस्म–पुरातन पतित कहकर गत सर्वे खतियान में दर्ज है। उक्त भूमि पर धानेश्वर पंडित, पिता–स्व0 फेनी पंडित, साकिन–शिकरपोसनी के द्वारा 45 डी0, भूमि पर मकान एवं घेराबंदी बनाकर अतिक्रमण किया गया है। अंचल अमिन ने भी मापी प्रतिवेदन देकर उपरोक्त अतिक्रमण की पुष्टि की है। राजस्व उपनिरीक्षक/अंचल अमीन/अंचल निरीक्षक करमाटाँड़(विद्यासागर) के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर अतिक्रमणकारी धानेश्वर पंडित, पिता–स्व0 फेनी पंडित को अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय ज्ञापांक–470/न्या0, दिनांक–05.06.2023, के माध्यम से विधिवत नोटिस देकर दिनांक–21.06.2023, को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने को कहा गया। वादी की ओर से उनके पुत्र श्री जुगल पंडित हाजिर हुए। उन्होंने लिखित में पक्ष समर्पित किया है। साथ में जमींदारी पट्टा सं0–76426, अनुमंडल पदाधिकारी, जामताड़ा के न्यायालय में उक्त पट्टा संपुष्टि हेतु दिया गया आवेदन तथा अंचल अधिकारी करमाटाँड़(विद्यासागर) द्वारा उक्त आवेदन के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, जामताड़ा को पत्रांक–159/रा0, दिनांक–13.03.2019 के माध्यम से भेजी गई जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति समर्पित किया है। वादी की ओर से उपरोक्त वर्णित भूमि से संबधित कई लगान रसीद की छायाप्रति भी समर्पित किया है। उनका कहना है कि उनके परदादा के समय से ही वे लोग उक्त भूमि पर शाँतिपूर्ण दखलकार है तथा उनका जमाबंदी कायम है जिसका लगान झारखण्ड सरकार को 70 वर्षों से देते आ रहे है। वादी की ओर से जमींदारी पट्टा तथा लगान रसीदों का मूल प्रति भी प्रदर्शित किया गया है। चूँकी पूर्व में अंचल अधिकारी, करमाटाँड़(विद्यासागर) ने उक्त भूमि के पट्टा संपुष्टि के संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी, जामताड़ा को जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया है तथा अनुमंडल पदाधिकारी, जामताड़ा के न्यायालय में वाद पर सुनवाई चल रही है तथा उक्त भूमि का जमाबंदी कायम है। अतः उक्त वाद पर अग्रेत्तर कारवाई उचित प्रतीत नहीं होता हैं। वाद की कारवाई समाप्त की जाती है। 23.06.23 अंचलअधिकारी करमाटाँड़(विद्यासागर), जामताड़ा।	

Digitally signed by RAM PRAWESH KUMAR
Date: 2024.07.09 12:51:13 +05:30
Location: 192.168.1.3